(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 225–एक/1992 – विरूद्ध आदेश दिनांक 29–8–1992 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 19/1989–90 अपील

1– रामदीन 2– रूपराम
पुत्रगण मवातीलाल निवासी
ग्राम बरथरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– दौलतिया 2– विन्डाई
3– गुरूदयाल पुत्रगण पन्नालाल
4– भतोला 5– दीना 6– विक्रम
तीनों पुत्रगण सूखे
7– सरनाम सिंह पुत्र श्रीपाल
8– संतोषीप्रसाद 9– उम्मेदसिंह
10– बंदन सिंह 11– लालाराम
12– पूरनसिंह सभी पुत्रगण श्रीलाल
क्र–8 से 12 अवयस्क संरक्षक भाई
सरनाम सिंह सभी निवासी चकबरथरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(आवेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 14 -12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29–8–1992 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश विवरण यह है कि अनावेदक क्रमांक एक लगायत तीन ने तहसलदार गोहद के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम बरथरा स्थित आराजी क्रमांक 385, 386, 388, 401 कुल रकबा 14 वीघा 9 विसवा सामिलाती है जिसका बटवारा किया जाकर प्रथक खाते कायम किये जावे। तहसीलदार गोहद ने प्रकरण क्रमांक 7/84-85 अ-6 पंजीबद्ध कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12-8-89 पारित करके उभय पक्ष के बीच बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 157/88-89 में पारित आदेश दिनांक 26-10-89 से अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 19/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-1992 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायाल के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त हुआ है एंव उभय पक्ष के समक्ष प्रकरण में साक्ष्यांकित हुई है जिसके कारण यह नहीं माना जा सकता कि तहसील न्यायालय में आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला है। जहां तक असमान बटवारे वावत् उठाई गई आपत्ति

का प्रश्न है ? तहसील न्यायालय में कुल रकबा 3.022 हैक्टर अर्थात 14 वीघा 09 विसवा भूमि के तीन बराबर - बराबर हिस्से किये गये हैं एंव उभय पक्ष को आपत्ति का समुचित अवसर देकर बटवारा किया गया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, गोहद ने अपील प्रकरण कमांक 157/88-89 में पारित आदेश दिनांक 26-10-89 में तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 19/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-1992 में तहसीलदार गोहद के आदेश दिनांक 12-8-89 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष एकरूपता लिये है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 19/1989-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-1992 उचित पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर